

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, करौली
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प रामपुर

151
19/04/2022

—: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी रामपुर व भू-अभिलेख निरीक्षक रुद्रेश्वर की रिपोर्ट तथा तहसीलदार करौली / नायब तहसीलदार X की अनुशास के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम रामपुर तहसील करौली व जिला करौली की जमाबन्दी सम्वत् 2074-72 में खाता संख्या 207, 410, 386 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है।)
1	रामपुर	386	लाला पि. हजारि शेख वदस्तूर	फूल सिंह पुत्र हजारि शेख वदस्तूर

(
पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत, कैम्प रामपुर
उप खण्ड अधिकारी
उप खण्ड अधिकारी, करौली
करौली (राज.)

क्रमांक :-

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार करौली को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री फूल सिंह पुत्र हजारि रामपुर को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

दिनांक :-

(
— do —
पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत, कैम्प रामपुर
उप खण्ड अधिकारी, करौली
करौली (राज.)